राजस्थान सरकार

निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

क्रमांकः– एफ.2 (क) (N–115) अलेसे–I/ 1006-13 दिनांकः– 21/8/23

आदेश

विभागीय आदेश संख्या 130/2014–15 दिनांक 05.01.2015 (क्रम संख्या 59) के द्वारा श्री नासेह मोहम्मद मदानी, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–I के सेवानिवृत्ति आदेश जारी किये गए थे, परन्तु तत्समय श्री मदानी के विरूद्ध कार्मिक विभाग द्वारा राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 में जांच विचाराधीन होने के कारण इन्हें "जांच बकाया नहीं" होने का प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया था। कार्मिक (क–2/जांच) विभाग, राजस्थान, जयपुर के आदेश क्रमांक प.1(305)कार्मिक/क–3/जांच/2007 जयपुर दिनांक 14.02.2022 के द्वारा श्री मदानी को उक्त प्रकरण में उनको देय पेंशन राशि का 10 प्रतिशत 02 वर्ष से रोके जाने से दंडित किया जाकर प्रकरण समाप्त किया गया तथा कार्मिक (क–3/जांच) विभाग के आदेश दिनांक 15.06.2023 द्वारा श्री मदानी की निलम्बन अवधि (24.03.2008 से 28.09.2010 तक) को समस्त प्रयोजनार्थ सेवाकाल माना गया।

अतः वित्त (नियम) विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प.12(6)वित्त/नियम/2008 दिनांक 24.03.2015 के क्रम में यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री नासेह मोहम्मद मदानी, सेवानिवृत्त सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–I, कार्यालय उपकोषाधिकारी, भदेसर (चित्तौडगढ़) के विरूद्ध आदिनांक से :–

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 19 के अधीन कोई विशेष प्रकिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

(भूपेश माथुर)
निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव

क्रमांकः– एफ.2 (क) (N–115) अलेसे–I/ 1006-13 दिनांकः– 21/8/23

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

1. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, उदयपुर।
3. कोषाधिकारी, चित्तौडगढ़।
4. उपकोषाधिकारी, भदेसर (चित्तौडगढ़)।
5. श्री नासेह मोहम्मद मदानी, सहायक लेखाधिकारी, ग्रेड–I, कार्यालय उपकोषाधिकारी, भदेसर (चित्तौडगढ़)।
6. निजी सचिव, निदेशक महोदय।
7. निज़ी पत्रावली/गार्ड फाईल।

(राजेन्द्र प्रसाद रैगर)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक–I)